



बालोतरा अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बालोतरा

प्रधान कार्यालय, टेलीफोन एक्सचेंज के पास, औद्योगिक क्षेत्र,
बालोतरा – 344 022 (राज.)

संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 30.04.2026 में पारित प्रस्ताव संख्या 4(35) की सही प्रतिलिपि :-

विषय बिन्दु संख्या 4(35) :- अंकेक्षण नीति बनाने पर विचार :- प्रबन्ध संचालक द्वारा बैठक में अवगत करवाया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देश संख्या RBI/2021-22/25Ref.No.DoS.CO.ARG/SEC.01/08.91.001/2021-22 दिनांक अप्रैल 27, 2021 के अनुसार शहरी सहकारी बैंको में वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति एवम् अंकेक्षण नीति के सम्बन्ध में नवीन मापदण्ड तय किये गए हैं।

वर्तमान में बैंक द्वारा सहकारी विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अंकेक्षण से सम्बन्धित नीतिगत दिशा निर्देशों के अनुसार वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति कर अंकेक्षण कार्य करवाया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 से वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति एवम् अंकेक्षण कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार करवाया जाना आवश्यक है। जिस हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति एवम् अंकेक्षण के मापदण्ड तय कर बैंक की अंकेक्षण नीति बनाई जानी आवश्यक है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

बैंक में वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति एवम् अंकेक्षण के मापदण्ड निम्नानुसार है :-

1) बैंक में वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति पूर्ववत् सहकारी विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिकृत अंकेक्षक पैनल से आवेदन मंगवाकर की जाएगी जिसमें निम्न शर्तें पूर्ण होनी आवश्यक हैं:-

a) अंकेक्षक पार्टनर फर्म / कम्पनी होनी आवश्यक हैं।

b) अंकेक्षक फर्म/कम्पनी सहकारी विभाग के पैनल में वर्गीकृत होनी चाहिए।

c) अंकेक्षक फर्म में कम से कम दो Full Time Partner तीन साल से पुराने होने चाहिए।

d) अंकेक्षक फर्म/कम्पनी में एक FCA(Fellow Chartered Accountant) अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

e) अंकेक्षक फर्म/कम्पनी का कम से कम छः वर्ष का अंकेक्षण कार्य का अनुभव होना चाहिए।

f) अंकेक्षक फर्म में एक पार्टनर (कम्पनी में निदेशक) का लगातार सम्बन्ध कम से कम एक साल पुराना होना आवश्यक हैं।

g) फर्म / कम्पनी में कम से कम आठ का प्रोफेशनल स्टाफ होना आवश्यक है।

2) अंकेक्षक की नियुक्ति के अधिकार :-

a) अंकेक्षक के चयन का अन्तिम निर्णय संचालक मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।

b) Audit Committee (ACB) द्वारा अंकेक्षक फर्म/कम्पनी का चयन किये जाने पर पुष्टि संचालक मण्डल से करवानी होगी।

3) दो अंकेक्षक फर्म/कम्पनी का चयन करना होगा। जिसमें प्रथम अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कार्य में असमर्थता प्रकट करने पर दूसरी नियुक्त फर्म/कम्पनी को अंकेक्षण कार्य आवंटन किया जायेगा।

4) अंकेक्षक की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त किये जाने पर ही प्रभावी होगी।

5) अंकेक्षक की नियुक्ति वित्तीय वर्ष में दिनांक 31 जुलाई तक करनी होगी।



- 6) अंकेक्षक की नियुक्ति निरन्तर तीन वर्षों के लिए की जायेगी। जिसका प्रतिवर्ष भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन करवाना होगा। परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक से स्वीकृति प्राप्त कर तीन वर्ष से पूर्व भी अंकेक्षक का बदला जा सकेगा।
 - 7) एक बार नियुक्ति के पश्चात् सम्बन्धित फर्म/कम्पनी/अंकेक्षक को अगले छः वर्षों तक पुनः नियुक्त नहीं किया जायेगा।
 - 8) बैंक द्वारा 50 प्रतिशत (न्यूनतम) तक ऋण व्यवसाय का वैधानिक अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण करना होगा।
 - 9) समवर्ती अंकेक्षक को वैधानिक अंकेक्षक हेतु नियुक्त नहीं किया जायेगा।
 - 10) वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी योग्यता मापदण्डों को पूरा करना होगा।
 - 11) अंकेक्षण फर्म/कम्पनी किसी भी सरकारी एजेन्सी द्वारा प्रतिबन्धित नहीं होनी चाहिए।
 - 12) बैंक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति ICAI की आचार संहिता या इस तरह के अन्य मानकों के अनुरूप है और इससे हितों का कोई टकराव नहीं होता है।
 - 13) अंकेक्षण कार्य के उचित पारिश्रमिक का निर्धारण संचालक मण्डल द्वारा निम्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए तय किया जायेगा।
 - a) Audit Scope & Coverage
 - b) Total Assets size of the Bank
 - c) Business level of the Bank
 - d) Risk identified by the Bank Management in financial reporting
 - e) Level of computerization & Digital channel
 - f) Complexity of transactions
 - g) other criteria as decided by ACB/BOD of the Bank
 - 14) बैंक द्वारा वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु विज्ञापन बैंक की Website पर योग्यता मापदण्ड नियम शर्तों सहित जारी किया जायेगा।
 - 15) वर्ष में एक बार शाखाओं का आंतरिक निरीक्षण का कार्य बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा करवाया जाना।
 - 16) EDP/IS ऑडिट का कार्य वर्ष में एक बार करवाये जाने हेतु समवर्ती अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मण्डल द्वारा की जावेगी।
 - 17) समवर्ती अंकेक्षक द्वारा मासिक आधार पर Concurrent Audit करवाया जाना।
- संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा बैंक की अंकेक्षण नीति में उक्त प्रस्तावित वैधानिक अंकेक्षण नियुक्ति सम्बन्धित लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों, बैंक की उक्त वैधानिक अंकेक्षण नीति के अनुसार सहकारी विभाग, राजस्थान के पैनल अंकेक्षकों से आवेदन मंगवाने की स्वीकृति प्रदान कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया गया।

ह0 / -
(गौतम सिंह जैन)
प्रबन्ध संचालक

ह0 / -
(अशोक कुमार सिंघवी)
अध्यक्ष

यह प्रस्ताव की सही प्रतिलिपि है। असल बैंक की किताब कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज है। जो कि बैंक में सुरक्षित है।

